

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 320 / 2015 अ०फ०

संस्थिति दिनांक 23.09.2015

म०प्र० राज्य शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

-----अपीलार्थी / अभियोगी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपीचंद स्वर्णकार, उम्र 51 वर्ष।
 2. कृपावती पत्नी रामस्वरूप स्वर्णकार, उम्र 48 वर्ष।
 3. संजीव पुत्र रामस्वरूप स्वर्णकार, उम्र 28 वर्ष।
- निवासीगण- चम्बल कॉलोनी गोहद जिला भिण्ड
म०प्र०

-----प्रतिअपीलार्थीगण / आरोपीगण

अपीलार्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

न्यायालय श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक
प्रकरण क्रमांक 1054 / 2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 10-07-2015
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 320 / 2015

// निर्णय //

(आज दिनांक 08-12-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी / अभियोगी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 378 दं.प्र. सं. का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री गोपेश गर्ग के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 1054 / 2006 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद वि० रामस्वरूप आदि में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थीगण / आरोपीगण को धारा 498ए भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 09.04.2006 को फरियादी अर्चना सोनी के द्वारा थाना गोहद में आशय का लेखीय आवेदनपत्र दिया कि उसकी शादी रिपोर्ट दिनांक से करीब तीन साल पूर्व संजीव सोनी के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद उसके पति, ससुर, सास व ननद उससे मोटरसाइकिल, प्लॉट व फ्रिज अपने पिता से मांगने की कहने लगे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करने लगे। दिनांक 08.04.2006 के करीब रात 10 बजे प्रार्थिया की सास, पति व ननद ने एक रायहोकर उसकी मारपीट की और कहा कि इसे घर से बाहर निकाल दो और ननद ने उसे ढक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया तब वह अपने पिता के घर पहुँच गई और अपने पिता व भाई को सारी घटना बताई। उक्त आवेदनपत्र की जाँच की गई जिस पर से फरियादिया का पति संजीव सोनी, ससुर रामस्वरूप सोनी, कृपावती सोनी निवासी गोहद के विरुद्ध धारा 498ए भा.दं.वि. का अपराध सिद्ध पाए जाने से उक्त तीनों के विरुद्ध अप0कं0 72/06 धारा 498ए भा.दं.वि का पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 498ए भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 10.07.2015 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है।

05. अपीलार्थी/अभियोजन के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही विवेचन न कर आरोपीगण को दोषमुक्त करने में गंभीर भूल की है। जबकि अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से समर्थन अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में किया जो कि प्रतिपरीक्षण उपरांत भी अखण्डनीय रहा है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्षीगण के कथन अतिरंजित मानते हुए प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है। आरोपीगण के द्वारा फरियादी से दहेज मांगे जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से अभिलेख पर साक्ष्य आई है जिस पर विश्वास न कर अधीनस्थ न्यायालय में ने आरोपीगण को दोषमुक्त करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपीगण को दोषमुक्त आदेश को अपास्त करते हुए दोषसिद्ध ठहराए

जाने का निवेदन किया है।

06. प्रत्यर्थागण/आरोपीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 10.07.2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-

08. वर्तमान अपील जो कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अभियोजन के द्वारा पेश की गयी है। अपने तर्क में अभियोजन के द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 498ए भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु समुचित साक्ष्य पेश की गयी है और साक्षीगण के कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहे हैं। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन के प्रकरण को शंकास्पद मानते हुये एवं साक्षियों के परस्पर संबंधी होने के कारण उन्हें हितबद्ध होना मानते हुये उनको अविश्वसनीय माना गया है। प्रकरण में दहेज की मांग किये जाने एवं दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ कूरता किये जाने के संबंध में सतुचित साक्ष्य मौजूद है उसके उपरांत भी आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है जो कि उचित नहीं है।

09. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान अपील अपीलार्थी के द्वारा जो कि घटना की पीडिता एवं फरियादिया है आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने के विरुद्ध की गई है। दोषमुक्त के विरुद्ध अपील के संबंध में न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के समय अपीलीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत तथ्यों पर आधारित हो अथवा विचारण न्यायालय के द्वारा कानून का गलत अर्थ निकाला गया हो अथवा न्याय की हानि हो रही हो अथवा साक्ष्य की व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत तौर से की गई हो अथवा निर्णय देखने से ही अन्यायोचित या अनियमित लग रहा हो अथवा विचारण न्यायालय के द्वारा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न किया हो।

10. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घुरईलाल वि0 स्टेट ऑफ

उ0प्र0 (2008)10 ए.सी.सी. 450 एवं सईद पेडा आदि वि0 पब्लिक प्रोजीकूटर हाईकोर्ट ऑफ आन्ध्रप्रदेश हेदराबाद ए.आई.आर. 2008 एस.2573 में पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह अवनिर्धारित किया गया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध निर्णय में हस्तक्षेप साधारणतः अपील न्यायालय को नहीं करना चाहिए। मात्र ठोस या वाध्यकारी व विवशकारी कारण होने पर ही दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। दोषमुक्ति मामले में जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा जिसके समक्ष कि साक्ष्य हुई है के द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है तो उस दशा में आरोपी के निर्दोष होने के संबंध में एक पुख्ता आधार रहता है, इस कारण से ठोस एवं विवशकारी परिस्थितियों में ही उसमें हस्तक्षेप किये जाने चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत व अन्य न्यायिक दृष्टांतों में अवनिर्धारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर विचार किया जाना और उनके साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

11. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य कथन एवं उसमें बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये आधार व प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

12. घटना की पीडिता श्रीमती अर्चना सोनी अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में उसके विवाह के चार पांच महीने पश्चात् से उसकी सास, ननद कृपावती, गीता, पूजा, ससुर रामस्वरूप सोनी, पति संजीव सोनी के द्वारा दहेज के लिये प्रताडित करने के संबंध में जो कि प्लॉट, मोटरसायकिल और फ्रिज की मांग उनके द्वारा की जाती थी, उनकी मांग पूरी न करने पर उसे उन लोगों के द्वारा प्रताडित किया जाता था उसके द्वारा राज्य महिला आयोग में शिकायत की गयी थी उनके हस्तक्षेप के उपरांत डेढ़ माह तक वह ससुराल में रही, लेकिन उनके द्वारा फिर से ठीक से नहीं रखा। आरोपीगण के द्वारा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था जिस कारण वह अस्पताल में भी भर्ती रही थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद में दर्ज करायी गयी थी जो प्र0पी0 1 है।

13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी संजीव अ0सा03 जो कि फरियादिया का भाई है, देवी प्रसाद अ0सा04 के द्वारा भी आरोपीगण के द्वारा फरियादिया को परेशान कर प्रताडित किये जाने के संबंध में और उससे दहेज की मांग करने के संबंध में बताया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनोज कुमार अ0सा07 के द्वारा आरोपीगण के द्वारा फरियादिया को परेशान करने और उससे दहेज की मांग करने के संबंध में बताया है।

14. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामजीलाल अ0सा02 अन्य साक्षी राघवेन्द्र अ0सा05 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी रामजीलाल शर्मा अ0सा0 2 के द्वारा दहेज के संबंध में कोई विवाद अथवा आरोपीगण के द्वारा फरियादिया

को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई भी बात उसकी जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से अभियोजन प्रकरण किसी प्रकार से समर्थित नहीं है। अभियोजन साक्षी राघवेन्द्रसिंह तोमर पक्षद्रोही रहा है, उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थित करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन या पुष्टि नहीं होती है। साक्षी मनोज सोनी अ0सा0 7 के कथन से भी अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती है। घटना के संबंध में उसकी बुआ सत्यवती के द्वारा बताए जाने के आधार पर साक्षी इस संबंध में कथन करना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी घटना का मात्र सुना सुनाया साक्षी है, उसके कथन से भी प्रकरण की कोई सम्पुष्टि नहीं होती है।

15. प्रकरण में मुख्य रूप से फरियादिया अर्चना अ0सा01, उसके पिता शिवप्रसाद अ0सा0 4 और भाई संजीव अ0सा03 के कथन पर साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके साक्ष्य कथन पर एवं साक्षियों की विश्वसनीयता पर विचार किया जाना उचित होगा।

16. फरियादिया के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध राज्य महिला आयोग के समक्ष शिकायत की जानी बतायी गयी है। इस संबंध में उसके द्वारा की गयी शिकायत की प्रति प्र0डी02 में कहीं भी आरोपीगण के द्वारा दहेज मांगे जाने के संबंध में कोई बात नहीं है। निश्चित तौर से यदि विवाह के पश्चात् से ही उसे किसी प्रकार की दहेज की मांग करने की कोई बात होती तो उसका उल्लेख उसके द्वारा उक्त शिकायत में की जाती। इस प्रकार इस बिन्दु पर फरियादिया के द्वारा बाद में सोच समझकर अतिरंजित होकर कथन किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त फरियादिया के कथनों में उसके द्वारा धारा 125 द0प्र0सं0 के प्रकरण में उसके द्वारा किये गये पूर्ववर्ती कथन तथा वर्तमान प्रकरण में किये गये कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास आना भी स्पष्ट होता है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव के संबंध में जो आधार लिया गया है और जिसमें आरोपी संजीव के स्वयं के कथन तथा बचाव में प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा परिलक्षित होता है कि फरियादिया अपने पति के साथ ससुराल के अन्य लोगों से अलग निवास करने की इच्छा रखती थी और इस कारण उसके द्वारा वर्तमान रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध कर दी गई हो इस संभावना भी वलंबतीय प्रतीत होती है। फरियादिया के समग्र साक्ष्य कथन के परिप्रेक्ष्य में मात्र उसके कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित भी नहीं है।

17. प्रकरण के संबंध में साक्षी शिवप्रसाद अ0सा0 4 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि सबसे पहले उसकी पुत्री ने विवाह के चार साल बाद आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान करने वाली बात बताई थी जो कि

सन् 2006 में इस संबंध में उसे बताया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया विवाह के चार पांच महीने बाद ही उसे ससुराल में आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग करने एवं इसको लेकर उसे परेशान एवं प्रताड़ित करने वाली बात बता रही है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी संजीव अ0सा0 3 के द्वारा उसकी बहन के द्वारा शादी के 6 महीने बाद दहेज की मांग के संबंध में उसे बताया जाना अभिकथित कर रहा है। इस प्रकार इस बिन्दु पर फरियादिया एवं उसके पिता के कथनों में परस्पर विरोधाभास आया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों से स्पष्ट है कि वह अपने किसी एक कथन पर स्थिर नहीं रहा है, बल्कि वह अपने कथनों को बार बार बदल रहा है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथनों के आधार पर आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग फरियादिया से करने एवं इस हेतु उसे प्रताड़ित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है।

18. अभियोजन साक्षी संजीव अ0सा0 3 जो कि पीडिता का भाई है के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी बहन अर्चना के पास तलाक का नोटिस आया था उसके बाद वह रिपोर्ट करने गई थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसके सामने कभी भी कोई मारपीट अथवा दहेज मांगने की बात नहीं हुई थी। साक्षी यह भी बताया है कि जब उनकी बनह उनके यहाँ आई थी तो उसने उसके हाथ पर कए खरौच देखा था, इसके अलावा कोई भी चोट उसे नहीं देखी थी। साक्षी के द्वारा कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में आरोपी संजीव एवं उसकी बहन अर्चना के बीच समझौता हुआ था और समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे सभी प्रकरणों को वापस ले लेंगे। इस आदेश के पालन में आरोपी संजीव द्वारा परिवादपत्र एवं अन्य सभी संचालित प्रकरण वापस ले लिये गए हैं और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन अर्चना के द्वारा कोई राजीनामे की कार्यवाही इस प्रकरण में अथवा धारा 125(3) जा0फौ0 के तहत की कार्यवाही वापस नहीं ली है। साक्षी कंडिका 13 में इस बात को भी स्वीकार किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्तमान में उसकी बहन अर्चना अपने पति के साथ रह रही है और उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार साक्षी संजीव के कथन के आधार पर भी आरोपीगण के द्वारा फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है।

19. साक्षी बंशीधर अ0सा0 6 घटना के संबंध में फरियादिया के द्वारा की रिपोर्ट पर जाँच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है और विवेचना की कार्यवाही करना बताया है। उक्त साक्षी के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

20. इस प्रकार वर्तमान अपील जो कि आरोपीगण के दोषमुक्ति करने के विरुद्ध पेश की गई। दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु कोई भी वाध्यकारी व विवशकारी कारण मौजूद होने नहीं पाए जाते जिनके आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जा सके।

21. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 10.07.2015 में घटना की फरियादिया व अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों को विश्वसनीय न मानते हुए एवं साक्षियों को हितबद्ध होना मानते हुए अभियोजन प्रकरण की प्रमाणित न होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन, विश्लेषण करते हुए एवं सम्पूर्ण साक्ष्य को विचार में लेते हुए तथा इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए आधारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का जो आदेश दिया गया है। उक्त दोषमुक्ति आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है और उसमें हस्तक्षेप या फेर बदल करने का कोई आधार नहीं है।

22. तदनुसार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2015 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

23. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड